

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 70/2022 राजस्व अपील

1. जतनसिंह पुत्र बनेलाल
2. धारासिंह पुत्र पूरण
3. मानसिंह पुत्र रामरूप

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा निर्णय दिनांक

10.12.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम जतन आदि प्रकरण संख्या 178/2021

अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 12.02.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम गांवडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.60 है. किस्म चरागाह पर सम्बत 2078 में गेहूं, जौ व सरसों की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 10.12.2021 पारित कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया तथा चरागाह भूमि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि से लगती हुई भूमि है। पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को न तो जवाब का मौका दिया न सुनवाई सबूत का मौका दिया और न ही अपीलान्ट्स की विधिवत रूप से तामील हुई। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं हुई है। पटवारी हल्का के बयान दर्ज नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम गांवडी में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 274 / 94 रकबा 0.60 है. पर सम्वत 2078 में गेहूं, जौ व सरसों की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कैफीयत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही Summary Proceeding है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.12.2021 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त भूमि अपीलान्ट्स को आवंटित हो चुकी है जबकि उक्त भूमि आज भी रिकॉर्ड में चरागाह दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का मरियाडा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा चरागाह भूमि खसरा नंबर 274 / 94 रकबा 0.60 है. पर सम्वत 2078 में गेहूं, जौ व सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में सम्वत 2077 में भी अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया जाना व्यक्त किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमित भूमि का आवंटन अपीलान्ट्स को हो जाने के सम्बन्ध में किये गये कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा

(नरेश बुनकर)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा